न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या–203 / 2023

खुशवीरसिंह पुत्र गुरदास सिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना त० टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

छिन्दी पुत्री गजनसिंह पत्नी गुरजन्टसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना त० टिब्बी । 2. जसवीरकौर उर्फ सुखजीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी माखा त0 मानसा ।

3. बलजीत कौर पुत्री गजनसिंह पत्नी हरदीपसिंह जाति कुम्हार निवासी फतेवाला तव पीलीबंगा ।

4. संदीप कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी कुम्हारवाला त० लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब।

5. अमनदीप कौर पुत्री गुरदास सिंह जाति कुम्हार निवासीयान साबुआना त0 टिब्बी ।

6. मूर्तिदेवी पत्नी गुरदास सिंह जाति कुम्हार निवासीयान साबुआना त0 टिब्बी ।

7. रूपसिंह पुत्र गुरदाससिंह जाति कुम्हार निवासीयान साबुआना त0 टिब्बी ।

8. सुखपालसिंह पुत्र जसवीरसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना त0 टिब्बी।

9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए

उपस्थितिः–सुभाष गर्ग अधिवक्ता वादी

श्री ए. एस. जोईया. अधिवक्ता प्रतिवादी स0 1 ता 4

श्री करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी स0 शेष

निर्णय दिनांक 29/4/26

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम चक 2 एसबीएन के खाता सं0 34 /31 में कुल 4.629 है0 में 9013/148128 हिस्सा, प्रतिवादीसं० 1 का 9013 / 37032 हिस्सा, प्रतिवादीसं० 2 का 9013/74064 हिस्सा, प्रतिवादीसं0 3 का 9013 / 37032 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 4 का 9013/74064 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है, नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है । वाद पत्र की चरण सं0 2 में दर्ज आराजी जो कि संयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें वादी का 9013/148128 हिस्सा आराजी दर्ज है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में से वादी के हिस्सा की आराजी प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता मे श्दर्ज चली आ रही है। वादी के हिस्सा की भूमि का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रहने से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है तथा भविष्य में भी विवाद न हो इस सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज संयुक्त खाता की आराजी में से अपने हिस्सा की आराजी का खाता मुताबिक अच्छी मन्दी के अनुसार तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज वादी की आराजी प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है। वादी का वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में 9013/148रू128 हिस्सा दर्ज है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है लेकिन प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 जो कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी अच्छी भूमि को रहन, बैय करने पर उतारू है अगर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने बिना खाता विभाजन करवाये अपने हिस्सा की आराजी में से अच्छी अच्छी भूमि को बैचान कर दिया व कब्जा दिगर व्यक्तियों को

अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

ौंप दिया तो मुझ वादी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वादी को नाहक ही कदमा बाजी में उलझना पड़ेगा। अतः वादी शाश्वत व्यादेश बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण ं0 1 ता 4 इस आशय का प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 ता 4 अपनें हिस्सा की आराजी को बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा वादी के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से निषेध रहे।

वादी ने प्रतिवादीगण को आज से तीन रोज पूर्व निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में से वादी के हिस्सा की आराजी का खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा देवे तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 बिना खाता विभाजन करवाये भूमि को रहन, बैय नही करे तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है। वादी का वाद खाता विभाजन व शाश्वत व्यादेश का है तथा प्रतिवादी सं0 9 लैण्ड होल्डर है इसलिए फरीक मुकदमा बनाया गया है। वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है । अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

क. कि चक 2 एसबीएन के खाता सं0 34/31 में कुल 4.629 है0 में से वादी के 9013/148128 हिस्सा की आराजी का खाता मुताबिक अच्छी मन्दी व रास्ता की सुविधा के अनुसार प्रतिवादीगण से अलग तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जावे।

ख.कि शाश्वत व्यादेश बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 इस आशय का जारी किया जावे कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 ता 4 बिना खाता विभाजन करवाये अपने हिस्सा की आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा वादी के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से निषेद रहे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी स0 1 ता 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया किवाद पत्र की दफा 1 में दर्ज तथ्य गलत दर्ज होने के कारण स्वीकार नही। वादी को पक्षकारान का पंजीबद्व पता वाद पत्र के साथ अलग से पेश करना चाहिए । 2. यह कि वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है । वाद पत्र की दफा हाजा में दर्ज कि वाद पत्र की चरण सं0 2 मे वणित आराजी संयुक्त खाता में दर्ज होने तथा वादी का 9013/148128 हिस्सा दर्ज होने तथा वादी के हिस्सा की आराजी का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त चली आ रही, होने का कथन स्वीकार है । वाद पत्र में वर्णित आराजी संयुक्त खाता की होने के कारण सहखातेदारान का अच्छी मन्दी व रास्ता – खाला की सहुलियत को मध्यनजर रखते है, संयुक्त खाता की आराजी का खाता विभाजन किया जाकर, अलग से कायम किया जाना विधिसम्मत व न्यायहित में है। वादपत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में दर्ज चली आने का कथन, तथा वादी का 9013 / 148128 हिस्सा दर्ज होने तथावाद पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी का विधिवत् विभाजन नही होने का कथन स्वीकार है, बाकी कथन कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नही। दफा हाजा मे दर्ज कथन कि प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 जो कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का बिना खाता विभाजन करवाये अपने हिस्सा की आराजी में से अच्छी–अच्छी भूमि को रहन, बैय करने पर उतारू है, कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नही। वाद पत्र मे वर्णित आराजी में अन्य सहकाष्तकारान के साथ प्रतिवादीसं० 1 ता 4 सहखातेदार के रुप में दर्ज है तथा हम प्रतिवादीगण को अपने हक व हिस्सा की आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करन का पूर्ण रुप से विधिक अधिकार प्राप्त है । दफा हाजा में दर्ज कि प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 ने बिना खाता विभाजन करवाये अपने हिस्सा की आराजी में से अच्छी दृ अच्छी भूमि को बेचान कर दिया व कब्जा दिगर व्यक्तियों को सौंप दिया तो वादी को नापूरा होने वाला नुकसान होगा, के सम्बन्ध में निवेदन है कि संयुक्त खाता की आराजी के

नामा में विशिष्ट किल्ला नम्बरान का अंकन नही किया जाकर, ३) केवल हिस्सा का बेचान या जाता है। विवादित आराजी मे प्रतिवादीगण सहखातेदार के रुप में दर्ज है इसलिए येक सहकाश्तकार को अपने हक व हिस्सा की आराजी को अन्तरित करने से रोका नही जा कता । वादी हम प्रतिवादीगण के खिलाफ किसी इंनस प्रकार की शाश्वत व्यादेश की डिक्री ने का अधिकारी व दावेदार नही है। वाद पत्र की दफा 5 में दर्ज तथ्य कानूनी है, ताहम भी ीकार नही। वाद पत्र की दफा 6 कानूनी है, ताहम भी स्वीकार नही। वाद पत्र की दफा 7 नूनी है, ताहम भी स्वीकार नही है। वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष ख से कतई इन्कारी है था अनुतोष क के सम्बन्ध में निवेदन है कि वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी में वादी प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के मुताबिक अच्छी मन्दी व रास्ता, खाला की सहुलियत के ताबिक वादी व प्रतिवादीगण का खाता विभाजित कर अलग से कायम किया जाता है तो हम तिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। लिहाजा प्रतिवादी सं० 1 ता 4 की ओर से बाबदावा पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी में वादी व तिवादीगण के हक व हिस्सा के मुताबिक अच्छी मन्दी के लिहाज से तथा रास्ता, खाला की हुलियत के मुताबिक खाता विभाजन कर अलग से कायम किया जावें तथा वादी द्वारा नुतोष ख में चाही गई इस्तदुआ खारिज फरमाई जावे। प्रतिवादी स0 5–6 द्वारा जवाब स्तुत करने के कारण जवाब अवसर बंद किया गया, प्रतिवादी स0 7 ता 8 के अधिवक्ता द्वारा पस्थिति दर्ज करवायी गयी, वकालतनामा पेश नही किया जवाव अवसर बंद किया गया।

बहस उभपक्ष सूनी गयी। दौराने बहस वकील वादी व वकील प्रतिवादी ने वाद प्राथमिक डिक्री किए जाने का निवेदन किया, प्रस्तुत वाद में दिनांक 24.02.2025 निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी किया जाकर तहसीलदार राजस्व टिब्बी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया, विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गयी, दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष ने वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर उभयपक्ष के मध्य खाता व लगान निम्नानुसार अलग कायम किये जाते है।

वादी स0 1 खुशवीर सिंह पुत्र गुरदास सिंह को प्राप्त आराजी चक 2 एसबीएन के खाता स0 34/31 प0न0 224/207 मु0 7 किला न0 13/.228, 12/0.046 कुल .274 है0

प्रतिवादी स0 5 अमनदीप कौर पुत्री गुरदास सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना प्रतिवादी स. 7 रूपसिंह पुत्र गुरदास सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना प्रतिवादी स. 6 मूर्ति देवी पत्नि गुरदास सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना को बहिब चक 2 एस बी एन के प.न. 224/202 (7) कि. न.11/0.253, 12/0.207, 20/0.253, 19/0.109 है0 कुल 0.822 है0

प्रतिवादी स. 1 छिन्दी पुत्री गजन सिंह प्रतिवादी स. 3 बलजीत कौर पुत्री गजन सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) सा0 साबुआना को बहिब चक 2 एस बी एन के प. न. 224/202(7) कि.न. 5/.164, 4/0.139, 7/0.228 6/0.253, 14/0.228, 15/0.253, 16/0.253, 17/0.168, प.न. 225/202(8) कि.न.10/0.253, 11/0.253 कुल 2.192 है0

प्रतिवादी स. 8 सुखपाल सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना को प.न. 224/202(7) 18/0.120 कुल 0.120 है०

प्रतिवादी स. 4 संदीप कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना प्रतिवादी स. 2 जसवीर कौर उर्फ सुखजीत कौर पत्नि बलविन्द्र सिंह

जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० राबुआना बहिब को चक 2 एस बी एन के प.न. 224/202(7) कि. न 18/0.133, 19/0.144, 21/0.253, 22/0.253, 23/0.253, 17/0.060 1.096 है0

प्रस्तावित रास्ता हेतु 224/202 (7) कि. न.4/0.025, 7/0.025, 13/0.025 14/0.025, 17/0.025, कुल 0.125 है0

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/11/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण) R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।

अन्तिम पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या—203 / 2023

खुशवीरसिंह पुत्र गुरदास सिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना त० टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. छिन्दी पुत्री गजनसिंह पत्नी गुरजन्टसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना त० टिब्बी । 2. जसवीरकौर उर्फ सुखजीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी माखा त0 मानसा ।
3. बलजीत कौर पुत्री गजनसिंह पत्नी हरदीपसिंह जाति कुम्हार निवासी फतेवाला तव पीलीबंगा ।
4. संदीप कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी कुम्हारवाला त० लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब।
5. अमनदीप कौर पुत्री गुरदास सिंह जाति कुम्हार निवासीयान साबुआना त0 टिब्बी ।
6. मूर्तिदेवी पत्नी गुरदास सिंह जाति कुम्हार निवासीयान साबुआना त0 टिब्बी ।
7. रूपसिंह पुत्र गुरदाससिंह जाति कुम्हार निवासीयान साबुआना त0 टिब्बी ।
8. सुखपालसिंह पुत्र जसवीरसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना त0 टिब्बी।
9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग प्रतिवादी वकील ए0एस0 जोईया आदि अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर उभयपक्ष के मध्य खाता व लगान निम्नानुसार अलग कायम किये जाते है।

वादी स0 1 खुशवीर सिंह पुत्र गुरदास सिंह को प्राप्त आराजी चक 2 एसबीएन के खाता स0 34 / 31 प0न0 224 / 207 मु0 7 किला न0 13 / .228, 12 / 0.046 कुल .274 है0

प्रतिवादी स0 5 अमनदीप कौर पुत्री गुरदास सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना प्रतिवादी स. 7 रूपसिंह पुत्र गुरदास सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना प्रतिवादी स. 6 मूर्ति देवी पत्नि गुरदास सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना को बहिब चक 2 एस बी एन के प.न. 224 / 202 (7) कि. न.11 / 0.253, 12 / 0.207, 20 / 0.253, 19 / 0.109 है0 कुल 0.822 है0

प्रतिवादी स. 1 छिन्दी पुत्री गजन सिंह प्रतिवादी स. 3 बलजीत कौर पुत्री गजन सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) सा0 साबुआना को बहिब चक 2 एस बी एन के प. न. 224 / 202(7) कि.न. 5 / .164, 4 / 0.139, 7 / 0.228 6 / 0.253, 14 / 0.228, 15 / 0.253, 16 / 0.253, 17 / 0.168, प.न. 225 / 202(8) कि.न.10 / 0.253, 11 / 0.253 कुल 2.192 है0

अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

प्रतिवादी स. 8 सुखपाल सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना को प.न. 224/202(7) 18/0.120 कुल 0.120 है०

प्रतिवादी स. 4 संदीप कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना प्रतिवादी स. 2 जसवीर कौर उर्फ सुखजीत कौर पत्नि बलविन्द्र सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० साबुआना बहिब को चक 2 एस बी एन के प.न. 224/202(7) कि. न 18/0.133, 19/0.144, 21/0.253, 22/0.253, 23/0.253, 17/0.060 1.096 है0

प्रस्तावित रास्ता हेतु 224/202 (7) कि. न.4/0.025, 7/0.025, 13/0.025 14/0.025, 17/0.025, कुल 0.125 है0

यह अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक 29/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।